www.kanpuruniversity.org
E-mail id-csjmu@kanpuruniversity.org

Ph.: 2570301
Fax: 2570006

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर-24
KALYANPUR, KANPUR-24

Ref. No.-C.S.J.M.U./R.Camp /9854/2010

Dated: 20/08/2010

प्रेस–विज्ञप्ति

शासनादेशानुसार छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर से सम्बद्ध समस्त बी.एड. महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी.एड. 2010 के सम्बन्ध में कौन्सिलिंग के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की फीस कौन्सिलिंग केन्द्र पर जमा करायी जा रही है, तत्पश्चात् सम्बन्धित महाविद्यालय को कौन्सिलिंग के उपरान्त आवंटित अभ्यर्थियों की कुल फीस लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की जायेगी ।

शासनादेश संख्या–770 / सत्तर–2–2010–16(70) / 2005टी0सी0 उच्च शिक्षा अनुभाग–2, लखनऊ, दिनांक 20.04.2010 के द्वारा सत्र–2010–11 में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु शुल्क रू0 30359 / – निर्धारित की है । अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनके पिता / अभिवावक की वार्षिक आय एक लाख रू0 या उससे कम है, को दिये जा रहे जीरो फीस के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2030 / 26–3–2009–4(358) / 2007 दिनांक 23.09.2009 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित है कि "समस्त शिक्षण संस्थान पात्र अनु0जाति / अनु0जनजाति / अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं का निःशुल्क प्रवेश लेगें तथा सामान्य जाति / अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं से शासकीय दरें जो निर्धारित होगी, उस धनराशि को घटाते हुए शेष शुल्क लेगें" ।

इस प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के उन प्रवेशार्थियों को जिनके पिता / अभिवावक की वार्षिक आय रू0 एक लाख या उससे कम है, को महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क (रू0 30359 / –) में से बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क को घटाते हुए शेष धनराशि सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा करना होगा । साथ ही यह भी अवगत कराना है कि पात्र अनु0जाति / अनु0जनजाति / अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र / छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाये । यदि किसी महाविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त किये गये हैं तो महाविद्यालय अपने नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रति चस्पा करें एवं कौन्सिलिंग के दौरान जमा की गयी शुल्क को घटाते हुए अवशेष धनराशि जमा करायें तथा उसकी प्राप्ति रसीद भी छात्रों को उपलब्ध करायें ।

अतः उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के अनुसार बिना किसी विघ्न के छात्र / छात्राओं को प्रवेश दिलाना सुनिश्चित किया जाय, जो महाविद्यालय उपर्युक्त के अतिरिक्त शुल्क लेने के दोषी पाये जायेगें उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी / विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

अप्रकाशनार्थ

पृष्ठांकन संख्या–सी.एस.जे.एम.यू. / आर.कैम्प / 9854 / 2010 **दिनांकः तदैव**

सम्पादक / संवाददाताः– **दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, दि टाइम्स आफ इण्डिया, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, दि पायोनियर** को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को कृपया अपने सम्मानित समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

(महेश चन्द्र)
कुलसचिव

JEE BED 2010